

**शहरी विकास विभाग**  
**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र: दिल्ली सरकार**  
**9वां तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली**


विधायक का नाम : श्री नारायण दत्त शर्मा

दिनांक : 03.12.2019

विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या : 161

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
क	'ओ' जोन क्षेत्र में निर्माण को लेकर सरकार की क्या नीति है;	दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 'ओ' जोन क्षेत्र की नीति का कार्य डी.डी.ए. के अन्तर्गत आता है । दिल्ली विकास प्राधिकरण को प्रश्न भेजा गया था, परन्तु दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपने पत्र सं. एफ.5 (3)/मिस. /2015/पी एंड सी/ वीएस/769 दिनांक 2 अगस्त, 2018, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 29 के साथ पठित अनुच्छेद 239 ए ए (3) और (4) में निहित प्रावधानों को देखते हुए विधान सभा के स्पीकर वैधानिक रूप से किसी आरक्षित विषय पर कोई प्रश्न स्वीकार नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त यह भी बताया जाता है कि यदि दि.वि.प्रा. के सम्बन्ध में सभा द्वारा उठाये गये प्रश्नों के उत्तर अपेक्षित हैं, तो उन्हें आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भेजा जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण केन्द्र सरकार के नियंत्रण में कार्य करता है। (प्रतिलिपि संलग्न है)
ख	क्या यह सत्य है कि बदरपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत अनेक बहुमंजिला इमारतें 'ओ' जोन क्षेत्र में बनी हुई हैं; और	दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी जानकारी के अनुसार यह सत्य है ।
ग	क्या यह भी सत्य है कि उक्त क्षेत्र में मकान बनाने के लिए लोगों से नगर निगम द्वारा पैसा वसूला जाता है?	दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी जानकारी के अनुसार यह सत्य नहीं है ।

  
 Dy. Secretary (I.D./D.C.)  
 Govt. of N.C.T. of Delhi  
 Delhi Secretariat  
 I.P. Estate, New Delhi-02

11/c

दिल्ली विकास प्राधिकरण  
(आयुक्त एवं सचिव कार्यालय)  
ब्लॉक-बी, विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023

75

रा. एक 5(3) / मिस. / 2015 / पी एंड सी / वीएस / 769

दिनांक 2 अगस्त, 2018

*Main letter  
in English  
has already been seen by  
the concern file.*  
श्री संदीप मिश्रा,  
विशेष सचिव (संसद अनुभाग),  
शहरी विकास विभाग, सारा क्षेत्र दिल्ली सरकार,  
9वां तल, सी विंग, दिल्ली सचिवालय,  
आई पी एस्टेट, नई दिल्ली-110002  
10/8/18

DS-PC विषय : छठी दिल्ली विधानसभा के 7वें सत्र के दूसरे भाग में दिनांक 07/06/2018 को उठाए गए अतारंकित प्रश्न के संबंध में।


उपर्युक्त विषय के संबंध में दिनांक 09/07/2018 के अपने पत्र रा. एक 52 (यू.एस.क्यू)/बजट रोशन-सैकंड जून-2018/दिल्ली असेंबली/यू.डी./डी 7175 7176 का अवलोकन करे, जिसकी सदन रा. एक यू.एस.क्यू/बजट रोशन II जून 2018/दिल्ली असेंबली/यू.डी./डी-6983-43(यू.एस.क्यू-80), 6925-34 (यू.एस.क्यू-78), 6977-80(यू.एस.क्यू-89) तथा 6901-6904 (यू.एस.क्यू-70) दिनांक 29/05/2018 तथा अनुपूर्व करके डी 7066 से 7068 दिनांक 13/06/2018 है, जिसके द्वारा संदर्भित विषय पर उत्तर तैयार करने के लिए विभाग की उपयुक्त सामग्री प्रेषित करने के लिए कहा गया था।

इस संबंध में यह बताया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 239 ए ए (3) (क) के अनुसार विधानसभा के पास राज्य सूची अथवा समवर्ती सूची में आने वाले किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है, केवल उन मामलों को छोड़कर जो राज्य सूची की प्रविष्टि 1, 2 तथा 18 से संबंधित हैं तथा सूची की प्रविष्टि 64, 65 तथा 66 से कुछ हद तक संबंधित हैं क्योंकि ये उक्त प्रविष्टि 1, 2 तथा 18 से संबंधित हैं। अतः आरक्षित विषयों अर्थात् प्रविष्टि 1, 2 तथा 18 में उल्लिखित विषयों पर राज्य सरकार के पास न तो कानून बनाने की शक्तियां हैं और न ही कार्यकारी कार्रवाई करने की शक्तियां। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 29 में यह वर्णित है कि प्रश्नों की विषय सामग्री प्रशासन के मामलों से संबंधित होनी चाहिए, जिसके लिए सरकार उत्तरदायी है।

अतः दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 29 के साथ पठित अनुच्छेद 239 ए ए (3) और (4) में निहित प्रावधानों को देखते हुए, विधान सभा के स्पीकर वैधानिक रूप से किसी आरक्षित विषय पर कोई प्रश्न रखीकार नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त यह भी बताया जाता है कि यदि दि.वि.प्रा. के संबंध में सभा द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर अपेक्षित हैं, तो उन्हें आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भेजा जाना चाहिए क्योंकि दि.वि.प्रा. केन्द्र सरकार के नियंत्रण में कार्य करता है।

तथापि, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार के विकास कार्य और सार्वजनिक कल्याण में दि.वि.प्रा. की भूमिका से संबंधित मामलों के संबंध में दि.वि.प्रा. रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्राप्त पत्राचार के उत्तर देना जारी रखेगा।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

  
(डी. सरकार)  
आयुक्त एवं सचिव